मेट्रो के सीतापुरा से अंबाबाड़ी फेस की डी.पी.आर. नये सिरे से बनाने के निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुरवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता पर है। इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जाये। इस प्रोजेक्ट में खर्चे व लागत का समुचित आकलन किया जाये ताकि वित्तीय

■ **जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल के रूप में विकसित करें : भजनलाल शर्मा**

संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मेट्रो के नए फेज सीतापुरा से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक विस्तार की डीपीआर नए सिरे से बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय कार्ययोजना में शामिल जयपुर मेट्रो के फेज 1-डी (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड चौराहे तक) का शिलान्यास भी शीघ्र किया जाए। शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो की कनेक्टिविटी में शहर के भीड़ वाले प्रमुख स्थलों को सम्मिलित किया जाए। साथ ही भविष्य में इसके विस्तार की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री)शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव (मुख्यमंत्री)आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव (नगरीय विकास)टी. रविकान्त, जयपुर मेट्रो के सीएमडीपी. रमेश सहित जेएमआरसी के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, टी. रविकान्त, जयपुर मेट्रो के सीएमडीपी. रमेश सहित जेएमआरसी के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

लोगों में ईडी का ख़ौफ़, लेकिन एक्ट अर्थव्यवस्था के लिए : जस्टिस रस्तोगी

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा की ईडी को लेकर लोगों में भारी खौफ है कि कहीं उनके दरवाजे पर दस्तक ना हो जाए। इसमें आरोपी को ही स्पष्टीकरण देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्ति की आजादी दोनों में संतुलन की आवश्यकता है। कानून समाज के लिए हो, ना कि समाज कानून के अनुरूप बने। जस्टिस रस्तोगी ने यह विचावर मनी लॉड्रिंग प्रिवेंशन, लॉ एंड प्रेक्टिस विषय पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन समारोह के दौरान रखे। ईएसआईआर मिलनी चाहिए। वैसे तो यह संसद का विषय है, लेकिन लोगों के अधिकारों का भी मामला है। वहीं पीएमएलए व सफेमा में जब्त संपत्ति से संबंधित अपीलीय अधिकरण के चेयरमैन जस्टिस एमएन भंडारी ने कहा कि बैंकों में हजारों करोड़ रुपए के फ्रांड होते हैं।

डॉ. दिनेश कुमार को मिली सर्न की विजिटिंग फैलोशिप

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय फिजिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ दिनेश कुमार को स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपीय संघ की न्यूक्लियर रिसर्च के क्षेत्र में विश्व की प्रमुख मानी जाने वाली न्यूक्लियर लैबोरेट्री सर्न द्वारा विजिटिंग फेलोशिप प्रदान की गई है।

संदीप भटनागर बने एस.बी.आई. राजस्थान प्रमुख

जयपुर, (का.सं.)। संदीप भटनागर ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जयपुर मंडल के राजस्थान प्रमुख के रूप में मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार राजेश कुमार मिश्रा से ग्रहण किया। मिश्रा वर्तमान पद पर सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद 29 फरवरी को रिटायर हो गये हैं। भटनागर ने वर्ष 1994 में प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में बैंक में सेवा की शुरूआत की।

जे.जे.एम.घोटाले में ईडी ने ठेकेदार के बेटे को गिरफ्तार किया

जयपुर। जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएचईडी के ठेकेदार पदम चंद जैन के बेटे को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपी पीयूष जैन को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का रिमांड लिया है।

ईडी ने इस साल 17 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जयपुर और बांसवाड़ा जिलों में 8 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान 11.42 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की थी। उस दौरान ईडी ने अहम साक्ष्य और दस्तावेज बरामद किए थे। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी, पीएचईडी के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई थी। सूत्रों के अनुसार पीयूष जैन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ बाद उसे गिरफ्तार किया। पीयूष के पिता ठेकेदार पदम चंद जैन को पिछले साल 2.20 लाख रुपए के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था।

सूत्रों के अनुसार ईडी को इस गिरफ्तारी से राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल धन के लेन-देन के बारे में और जानकारी मिलेगी। इससे पहले पिछले साल नवंबर में ईडी ने पीएचईडी के इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों सहित 23 स्थानों पर तलाशी ली थी।

जेडीए सीवेज लाइन को एसटीपी में जोड़ें : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अंबाबाड़ी इलाके की सीवरेज लाइन का पानी द्रव्यवती नदी में मिलने और इससे जल व वायु प्रदूषण फैलने को चुनौती देने के मामले में जेडीए को निर्देश दिए हैं। अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह क्षेत्र में सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोड़े और नीरी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करे। वहीं इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए शिकायती पत्र व प्रतिवेदनों पर भी तीन महीने में उचित कार्रवाई करे। जेडीए क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित करे। वहीं यदि जेडीए मामले में उचित कार्रवाई नहीं करे तो याचिकाकर्ता मामले को दुबारा अदालत के समक्ष लाने के लिए स्वतंत्र है। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अंबाबाड़ी विकास समिति के सचिव आलोक गुप्ता की जनहित याचिका पर दिए।

■ **नीरी की रिपोर्ट के अनुसार काम करने का आदेश**

याचिका में अधिवक्ता गोपाल सिंह बारहठ ने बताया कि अंबाबाड़ी इलाके में डेजर्ट इन के पास जेडीए ने सीवरेज लाइनों को एसटीपी में नहीं जोड़ा है और इसके चलते स्थानीय कॉलोनियों के सीवरेज का गंदा पानी द्रव्यवती नदी में आकर मिल रहा है। वहीं नीरी ने अपनी रिपोर्ट में सीमेंट-कंक्रीट का पक्का चैनल बनाने के लिए कहा था, लेकिन यह जगह अभी भी कच्ची ही है और इसे अब तक पक्का नहीं किया गया है। ऐसे में जेडीए नीरी की रिपोर्ट के अनुसार काम नहीं कर रहा है। इससे स्थानीय क्षेत्र में जल व वायु प्रदूषण हो रहा है और इलाके के करीब पांच लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने जेडीए को नीरी की रिपोर्ट के अनुसार द्रव्यवती नदी में सीवरेज का गंदा पानी रोकने, सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोड़ने व सीमेंट-कंक्रीट का चैनल बनाने के लिए प्रतिवेदन दिया था, लेकिन जेडीए ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए इलाके में नीरी रिपोर्ट की पालना करवाते हुए सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोडा जाए।

एएनएम भर्ती की अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस के आधार पर हो रही एएनएम भर्ती-2023 में जयपुर जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने को चुनौती देने के मामले में भर्ती की अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक व सीएमएचओ जयपुर से 22 मार्च तक जवाब मांगा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश अलवर निवासी संयोगिता यादव की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सोगत रॉय ने बताया कि राज्य सरकार ने 11 अगस्त 2023 को भर्ती विज्ञापन जारी कर यूटीबी के आधार पर एएनएम की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली। इसमें जयपुर जिले के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देने के लिए कहा। ऐसे में याचिकाकर्ता के जयपुर से बाहर अलवर जिले का निवासी होने के चलते उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वह मेरिट में आ रही है, लेकिन जयपुर से बाहर का होने के कारण उसे नहीं बुलाया है। जबकि मेडिकल एंड हैल्थ अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए और इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन का निर्देश देते हुए उसे नियुक्ति दी जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अंतिम चयन सूची और नियुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

गर्मियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

जयपुर। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशों की अनुपालना में सभी जिलों के कलक्टर को गर्मियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गए हैं। शुक्रवार को शासन सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अभियंताओं के साथ समर कंटीन्जेसी संबंधी कार्यों पर चर्चा की गई। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में समर कंटीन्जेसी कार्यों के लिए वित्त विभाग से आवश्यक स्वीकृत सहमति प्राप्त करने हेतु विभाग के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य अभियंता की मौजूदगी में चर्चा की गई।

सभी क्षेत्रों में भारत को अग्रणी करने के लिए मिलकर प्रयास करें : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने युवाओं का आव्हान किया है कि वे "विकसित भारत 2047" की संकल्पना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में भारत को अग्रणी करने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए शिक्षा के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी और उद्यिमता की बड़ी भूमिका होगी। शिक्षण संस्थान इसी अनुरूप भविष्य की दृष्टि के लिए कार्य करें।

मिश्र शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स द्वारा आयोजित 'शंकरा ग्लोबल हैकाथॉन' में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हैकाथॉन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे युवाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। उन्होंने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का आधार बताते हुए कहा कि बढ़ती आबादी और

■ **'विकसित भारत की संकल्पना साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका'**

जरूरतों के हिसाब से तकनीक आधारित सुनियोजित विकास जरूरी है।

उन्होंने प्रौद्योगिकी, शोध और अनुसंधान तथा नवाचारों का सही इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में लिए जाने पर जोर दिया।

इससे पहले उन्होंने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं उनके शोध कार्यो को नई दिशा देने के लिए प्रकाशित तकनीकी शिक्षा से जुड़ी "टेक्नीकोन" पत्रिका और हिंदी में कृषि विषयक पत्रिका 'किसान इन्टरनेशनल' का लोकार्पण किया। 'शंकरा ग्लोबल हैकाथॉन में देशभर के तकनीकी संस्थानो, विभिन्न विष्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटीज के आचार्य और विद्यार्थी भाग ले रहे है।

राज्यपाल ने हैकाथॉन में शैक्षिणक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों, इनोवेशन और स्टार्टअप से जुड़े विभिन्न आयोजनों में देश भर में उम्दा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति एस. के. सिंह, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रो. बलराज सिंह, पोलैंड, लिथुनिया आदि विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविदों ने तकनीक के जरिए शैक्षिक विकास के संबंध में विचार रखे।

'आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें'

जयपुर, (का.सं.)। संभागीय आयुक्त डॉ. आरुषि मलिक ने कहा कि जयपुर संभाग में आमजन को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हों इसके लिए चिकित्सा अधिकारी हर संभव प्रयास करें। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान के तहत क्षेत्र के भामाशाहों से समन्वय कर चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर जरूरी चिकित्सकीय उपकरण, इंतजाम एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। यह बात उन्होंने शुक्रवार को संभागीय आयुक्तालय स्थित सभागार में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में समय पर मेडिकल रिलीफ सोसायटी की बैठकों का आयोजन कर चिकित्सालयों के विकास कार्यों, कार्मिकों, दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि जमीन आवंटन संबंधी मामलों को सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर जल्द से जल्द निस्तारण करें। बैठक में संभागीय आयुक्त ने चिकित्सा अधिकारियों से चिकित्सकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए सुझाव भी लिये।

परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठने का खुलासा, एक आरोपी पकड़ा

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा वर्ष-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठने का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसओजी ने इन्द्राज सिह निवासी मंडला, जिला झुंझुनूं हाल अजमेर रोड जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में आरोपित के संगठित गिरोह के अन्य साथियों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को एसओजी थाना जयपुर में धारा 419, 420, 467, 468, 120 बी, भादस व 3 व 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 का मामला दर्ज किया गया था।

राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में शुक्रवार को नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक / नियमन / 23-24 /1537 — आम सूचना — दिनांक 1/03/24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कमल कुमार सिंहल पुत्र श्री दामोदरलाल अग्रवाल व श्री दामोदर लाल अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्दराम, श्रीमति खुश्बू सिंहल पत्नि श्री कमल कुमार सिंहल निवासी हसां नगर अजमेर रोड, ब्यावर ने राजस्व ग्राम गदीथोरियान के खसरा नम्बर 874 में स्थित बाकोलिया कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 10, 11, 12 व 13 कुल क्षेत्रफल 536.00 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक फ्री होल्ड पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.08.2023 के अनुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 10, 11, 12 व 13 कुल क्षेत्रफल 536.00 वर्गगज भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख बावत् किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नही होगी। सीमायें (मौका रिपोर्ट के अनुसार)

पूर्व : प्लाट नं. 08 व 09 — पश्चिम : प्लाट नं. 14
उत्तर : रोड सेन्टर से 50 फीट — दक्षिण : रोड 20 फीट

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

Tel No. 01462-258665, 257509 — Email Add. npbeawar@gmail.com

क्रमांक / नजूल /PSKS/23-24 / 13204 — दिनांक- 01/03/2024

श्रीमती बबीता गर्ग पत्नी श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी ब्यावर ने नगर परिषद ब्यावर क्षेत्र में स्थित म्यू. नं. 02 पुलिस चौकी के पास सुरजपोल गेट ब्यावर से लगती हुई खांचा भूमि क्षेत्रफल 7`.6` × 8`-0``/ 2 × 24 × 1/9 = 22.53 वर्गगज एवं क्रय करने हेतु आवेदन किया है, जिसकी सीमाए निम्नानुसार है :-

पूर्व में - रोड 33`0`` — पश्चिम में - सरकारी क्वार्टर
उत्तर में - आवेदक की भूमि — दक्षिण में - अन्य की भूमि

अतः इस खांचा भूमि के संबंध मे किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस के भीतर भीतर नगर परिषद ब्यावर मे प्रस्तुत करे बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नही होगी सूचित रहे।

आयुक्त, नगर परिषद ब्यावर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांकः अविप्रा/प3/भू.उ.परि./2024/4798 — दिनांक 1.3.2024

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि / 2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लाट न.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-1) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	9
1	श्री राम प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता	कोटड़ा आवासीय योजना	भूखण्ड संख्या 234	442.31 वर्ग मीटर	आवासीय योजना के तहत आवासीय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 4.8.2023 के अनुसार निर्मित	आवासीय	सामान्य व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण / विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नही किया जायेगा।

उपनगर नियोजक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांकः अविप्रा/प3/भू.उ.परि./2024/4796 — दिनांक 1.3.2024

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि / 2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	भूखण्ड सं.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-10) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	9
1	श्रीमती रश्मि गुप्ता पत्नी श्री संजीव कुमार गुप्ता एवं श्रीमती ऊषा देवी गुप्ता पत्नी श्री नेमीचंद गुप्ता	चन्द्रबरदाई नगर योजना	भूखण्ड संख्या ए-935-बी	170.70 वर्ग मीटर	आवासीय योजना के तहत आवासीय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 4.8.2023 के अनुसार निर्मित	आवासीय	सामान्य व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण / विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नही किया जायेगा।

उपनगर नियोजक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की अम्बा पार्क (घूघरा) योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 86 क्षेत्रफल 200 गज के आवंटी / अन्तरिति स्व. श्री के. के. शर्मा पुत्र स्व. श्री राम किशन शर्मा निवासी 445 केशव नगर, अजमेर की मृत्यु दिनांक 23/06/2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) दुर्गा किशन शर्मा पुत्र स्व. श्री राम किशन शर्मा (2) वृज कौर शर्मा पुत्री स्व. श्री राम किशन शर्मा (3) कृष्णा शर्मा पुत्री स्व. श्री राम किशन शर्मा निवासी (समस्त तीनों) 445 केशव नगर, अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांकः अविप्रा/प3/भू.उ.परि./2024/4797 — दिनांक 1.3.2024

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि / 2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	भूखण्ड सं.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-10) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	9
1	श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवचरण लाल	चन्द्रबरदाई नगर योजना	भूखण्ड संख्या ए-30-बी	165.84 वर्ग मीटर	आवासीय योजना के तहत आवासीय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 4.8.2023 के अनुसार निर्मित	आवासीय	सामान्य व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण / विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नही किया जायेगा।

उपनगर नियोजक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आंवटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ग्राम चौरसियावास गैर योजना के आवासीय भूखण्ड खसरा संख्या 1768 क्षेत्रफल 332.11 वर्गगज के आंवटी श्रीमती शान्ति शर्मा पनि स्व. चैन राज शर्मा निवासी हरीनगर लोहागल रोड अजमेर की मृत्यु दिनांक 15/1/2014 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसो क्रमशः संजुबाला पुत्री स्व. चैनराज शर्मा पत्नि रमेश मिश्रा (अजमेर) श्री धिरेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. चैनराज शर्मा निवासी अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय पंचायत समिति कोटडी (शाहपुरा)

क्रमांक - पसको / लेखा / 2023-24 /1340 — दिनांक : 29/02/24

पंचायत समिति कोटडी द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु सर्वे साधारण एवं विभिन्न निलामी हेतु आमंत्रित किया जाता है। जिसका विस्तृत विवरण WWW.SPPP.RAJASTHAN.GOV.IN देखा जा सकता है।
NIB NO ZBL2324A0652
UBN NO ZBL2324WSOB01859

विकास अधिकारी
पंचायत समिति कोटडी

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Corporate Identification Number (CIN)- U40109RJ2000SGC016482
Regd. off. Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makarwali Road, ajmer-305004
O/o M&P CIRCLE, OPP. 220 KV GSS NAKA MADAR, AJMER-305007
Phone:- 0145-2670593, Email Id:- semnpad@yahoo.com,
Website –http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl

No./ AVVNL/ SE(M&P)/ EA&P/ F/D 4327 — Dated: 26.02.2024

Tender Notice TN-M&P-38

NIB Code:- AVV2324A0191
UBN Code:- AVV2324SSOB01002

Bids are invited from eligible bidders for the work of " To carry out the Annual Energy Audit for FY 2023-24 in Ajmer Discom as per the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Regulations, 2021 and its amended Regulations, 2022 under Energy Conservation Act, 2001" under TN-M&P-38. All the details regarding tenders are available at our website http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl and https://sppp.rajasthan.gov.in In future corrigendum/ extension of date etc. if any shall be published only at http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl and https://sppp.rajasthan.gov.in.

Raj.Samwad/C/23/14000 — Superintending Engineer (M&P)

कार्यालय ग्राम पंचायत टोकरवाड़, पंचायत समिति हुरड़ा, जिला - भीलवाड़ा

क्रमांक : -14 — दिनांक -

निविदा सूचना 2023-24

ग्राम पंचायत टोकरवाड़, पंचायत समिति हुरड़ा की और से विभिन्न कार्यों हेतु पंचायत की FFC/SFC के उपयुक्त श्रेणी में विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजिकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित विकास कार्यों की मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी सभी शर्ते कार्यालय समय में ग्राम पंचायत सुठेपॉ में देखी जा सकती है।
UBN No :- ZBL2324WSR01847
to ZBL2324WSR01856
NIB No:- ZBL2324A0650

सरंपच, ग्राम पंचायत टोकरवाड, पंचायत समिति हुरड़ा
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टोंकरवाड, पंचायत समिति हुरड़ा

NAME CHANGE

I,SUSHILA, Mother of No.15781737L Rank Hav (OFC) Name : BHOPATE PRASHANT SHIVAJIRAO residing of Vill-Konegaon, post: Konegaon,Tehsil : Karad, District -Satara , State-Maharashtra, PIN: 415106 have changed my name from SUSHILA to BHOPATE SUSHILA SHIVAJI-RAO vide affidavit BN 998353 Dated 29/02/2024 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I,SHIVAJIRAO, Father of No.15781737L Rank Hav (OFC) Name :BHOPATE PRASHANT SHIVAJIRAO residing of Vill-Konegaon, post: Konegaon,Tehsil : Karad, District -Satara , State-Maharashtra, PIN: 415106 have changed my name from SHIVAJI-RAO to BHOPATE SHIVAJIRAO SHRIPATI vide affidavit BN 998352 Dated 29/02/2024 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I,GEETA ,Spouse of No. 15789341W Rank:NK (DRES-SAR) Name: SANDEEP residing of Vill- Bolewadi, post: Sindal, Tehsil :Chikodi, District - Belgaum , State-Karnataka, PIN-591211 have changed my name from GEETA to GEETA SANDEEP SUTAR vide affidavit BN 998357 Dated 29/02/2024 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I,KUSUM M SUTAR , Mother of No. 15789341W Rank:NK (DRESSAR) Name: SANDEEP residing of Vill- Bolewadi, post: Sindal, Tehsil :Chikodi, District - Belgaum , State-Karnataka, PIN-591211 have changed my name from KUSUM M SUTAR to SUMAN SUTAR vide affidavit BN 998356 Dated 29/02/2024 before Court campus Nasirabad

आवश्यकता

कार्यालयकर्मी ई.एस.एम. कैंटीन, डीडवाना के लिए कैंटीन असिस्टेंट मैनेजर के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्यता निम्नानुसार है
1. सेनानिवृत होना चाहिए
2. कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए
3. अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।
4. खाते को संभालने में अनुभव होना चाहिए।